भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2092
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जन औषधि केंद्रों की स्थापना

2092. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जन औषधि केंद्र स्थापित करने में भागीदारी चाहने वाली निजी कंपनियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत, सरकार ने जन औषधि केंद्र (जेएके) खोलने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया है। कोई भी व्यक्तिगत उद्यमी, गैर-सरकारी संगठन, समितियां, ट्रस्ट, फर्म, निजी कंपनियां आदि देश भर में योजना की वेबसाइट (www.janaushadhi.gov.in) के माध्यम से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जन औषधि केंद्र (जेएके) खोलने के लिए आवेदन प्राप्त होते ही, इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा शीघ्रता से उन पर कार्रवाई की जाती है। समुचित जांच किए जाने के बाद, पीएमबीआई पात्र आवेदकों को प्रारंभिक स्वीकृति प्रदान करता है। हालांकि, स्टोर कोड जारी करना और जेएके का संचालन शुरू करना अनिवार्य वैधानिक और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति पर निर्भर करता है, जिसमें वैध औषधि लाइसेंस प्राप्त करना और जमा करना, निर्धारित समझौतों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन और योजना के तहत निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करना शामिल है
